

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2010, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2010 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग 150436.64 करोड़ रुपए और 137460.22 करोड़ रुपए थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2010 were Rs. 150436.64 crores and Rs.137460.22 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

I (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

I (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
 सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Cooperation	521.66 (7)	521.66 (7)	—	—	—	—	521.66 (7)	0.05	0.01	—
वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES	531.50 (3)	531.50 (3)	—	530.00 (2)	—	—	1.50 (1)	—	—	5.30*

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

* 5.30 करोड़ रु. जो वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त किए जाने थे, वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त किए गए थे।

* Rs. 5.30 Crores which was due to be received during 2008-09, was received during 2009-10.

वित्त मंत्रालय —

MINISTRY OF FINANCE —

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	19734.27	5205.77#	14528.50	1262.87	—	—	18471.40	53.59	53.59	—
	(23)	(13)	(10)	(4)			(19)			

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER

AFFAIRS, FOOD AND

PUBLIC DISTRIBUTION

	34495.02	34495.02	—	0.02	—	—	34495.00	—	—	—
	(3)	(3)					(2)			

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय —

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industries	632.60	622.88	9.72	26.79	—	—	605.81	6.90	0.13	—
	(23)	(22)	(1)	(2)			(21)			

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

MINISTRY OF MICRO, SMALL

AND MEDIUM ENTERPRISES,

KHADI & VILLAGE

INDUSTRIES COMMISSION

	300.00	300.00	—	4.46	—	—	295.54	54.55	—	—
	(1)	(1)					(1)			

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—

MINISTRY OF CHEMICALS

AND FERTILISERS—

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

Department of Chemicals and

Petrochemicals

	994.95	994.95	—	992.40*	—	—	2.55	—	—	—
	(6)	(6)		(5)			(1)			

* गारंटियां नवसृजित फार्मास्युटिकल विभाग को अंतरित की जाती है।

* Guarantees Stand Transferred to the newly created Department of Pharmaceuticals.

आई डी बी आई एवं आई आई एफ सी एल के संबंध में जो गारंटियां 1(ii) तथा 1(iii) क अंतर्गत दर्शाई गई थीं, उनमें सुधार कर उन्हें अब 1(i) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार, पिछले वर्ष की वर्तमान शेष राशि तथा चालू वर्ष की आरम्भिक शेष राशि में अंतर है। गारंटियों की संख्या को भी घटा कर 2 तक कर दिया गया है क्योंकि ये गारंटियां भारी उद्योग विभाग और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित हैं।

Guarantees in r/o IDBI & IIFCL previously shown under 1(ii) & 1(iii) are now rectified and classified under 1(i). Hence there is a difference in C.B. of previous year and O.B. of Current year. No. of Guarantees have been also been reduced by 2 as these guarantees pertain to Deptt. of Heavy Industries and M/o Textiles.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
फार्मास्युटिकल्स विभाग Department of Pharmaceuticals	1008.12 (5)		1008.12# (5)				1008.12 (5)	53.31	—	—
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	195.00 (4)	195.00 (4)	—	75.00 (2)	—	—	120.00 (2)	1.55	1.55	—
पोत परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING	255.46 (1)	255.46 (1)	—	—	—	—	255.46** (1)	—	—	—
जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES	—	—	—	—	—	—	—	2.47	2.47	2.59*

गारंटियां रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग से अंतरित कर दी गईं। इसमें 15.72 करोड़ रु. की ब्याज राशि भी शामिल है।

Guarantees transferred from Deptt. of Chemicals and Petrochemicals. This also includes interest amount of Rs.15.72 crores.

* गारंटी शुल्क की अदायगी देय तिथियों पर नहीं करने पर अर्थ-दंड लगाया जाना। अर्थ-दंड को माफ किए जाने का एक प्रस्ताव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है।

* Levy of Penalty for not making Payment of Guarantee fee on due dates. A proposal for waiver of Penalty is under Consideration in the D/o Eco. Affairs, M/o Finance.

** 255.46 करोड़ रु. की गारंटी की राशि रक्षा मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।

** The amount of guarantee of Rs. 255.46 crores stands transferred to Ministry of Defence.

(ii) शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

(ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

कृषि मंत्रालय-

MINISTRY OF AGRICULTURE—

कृषि और सहकारिता विभाग

Department of Agriculture and
Cooperation

226.18	226.18	—	89.90	—	—	136.28	—	—	—
(6)	(6)		(2)			(4)			

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—

MINISTRY OF CHEMICALS AND
FERTILISERS—

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

Department of Chemicals and
Petro Chemicals

100.00	100.00	—	—	—	—	100.00	1.00	—	—
(1)	(1)					(1)			

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

383.08	383.08	—	139.08	—	—	244.00	0.54	0.54	—
(12)	(12)		(4)			(8)			

वित्त मंत्रालय —

MINISTRY OF FINANCE —

आर्थिक कार्य विभाग

Department of
Economic Affairs

3281.13	3281.13*	—	955.53	—	—	2325.60	6.72	6.72	—
(35)	(35)		(10)			(25)			

* आई डी बी आई तथा आई आई एफ सी एल के संबंध में प्रतिभूतियों को पहले 1(ii) के अंतर्गत दर्शाया गया था जिसमें अब सुधार कर लिया गया है और इन्हें 1(i) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार, पिछले वर्ष की नकद शेष राशि तथा चालू वर्ष की आरम्भिक राशि में अंतर है।

* Guarantees in r/o IDBI & IIFCL were Previously shown under 1(ii) and now rectified and classified under 1(i). Hence there is a difference in C.B. of previous year and O.B. of Current year.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
 सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
1	2	3	4	5	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	11
									(करोड़ रुपयों में) (In crore of rupees)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —									
भारी उद्योग विभाग Department of Heavy Industry	263.99 (5)	263.99 (5)	—	—	—	—	263.99 (5)	—	—
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	8679.52 (17)	8679.52 (17)	—	3100.03	—	—	5579.49 (17)	—	—
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	134.08 (4)	134.08 (4)	—	75.00	—	—	59.08 (4)	1.34	1.34

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	448.40 (3)	448.40 (3)	—	35.00	—	—	413.40 (3)	4.13	4.13	—
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	314.44 (11)	314.44 (11)	—	161.34 (6)	—	—	153.10 (5)	0.40	0.40	—
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY										
दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS	409.00 (4)	409.00 (4)	—	409.00 (4)	—	—	—	46.67	—	—
<p>(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:-</p> <p>(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-</p>										
नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	19756.52 (16)	9433.42 (10)	10323.10 (6)	768.48	—	—	18988.04 (16)	85.72	81.84	—
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	2576.70 (5)	2071.29 (5)	505.41	367.82	—	—	2208.88 (5)	25.01	28.88	—

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
 सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	19984.50 (43)	17175.85 (42)	2808.65 (1)	1248.56 (3)	—	—	17196.84* (40)	233.58	233.58	—
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	32451.81 (78)	24666.30# (73)	7785.51 (5)	878.81 (3)	—	—	31573.00 (75)	56.81	10.73	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड National Small Industries Corporation Limited	67.78 (3)	67.31 (3)	0.47	9.27	—	—	58.51 (3)	0.72	—	—

आई डी बी आई के संबंध में प्रतिभूतियों को पहले 1(iii) के अंतर्गत दर्शाया गया था जिसमें अब सुधार कर लिया गया है और इन्हें 1(i) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार, पिछले वर्ष की नकद शेष राशि तथा चालू वर्ष की आरम्भिक राशि में अंतर है।

Guarantees in r/o IDBI previously shown under 1(iii) are new rectified and classified under 1(i). Hence there is a difference in C.B. of previous year and O.B. of Current year.

* विदेशी मुद्रा दरों में विभिन्नता के कारण अंतर।

* Difference due to variation in foreign exchange rates.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND

RENEWABLE ENERGY	817.04	684.53	132.55	119.31	—	—	697.77	6.79	6.79	—
	(4)	(3)	(1)				(4)			

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

	528.50	528.50	—	20.69	—	—	*454.63	1.17	1.17	—
	(3)	(3)		(1)			(2)			

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN

DEVELOPMENT	714.43	714.43	—	104.82	—	—	609.61	5.95	5.95	—
	(2)	(2)					(2)			

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:-

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL	620.36	620.36	—	10.00	—	—	610.36	32.94	6.10	—
	(9)	(9)		(1)			(8)			

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय —

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industry	10.60	10.60	—	—	—	—	10.60	—	—	—
	(1)	(1)					(1)			

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:-

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

* विदेश विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण अंतर।

* Difference due to variation in foreign exchange rates.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-समाप्त
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Concl'd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

— — — — — — — 1.50 — —

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय —

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industry

— — — — — — — 0.17 — —

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

— शून्य / NIL —